

12.7.19

प्राथमिक मय वकील अनुमो अप्रथी अनुमो  
इस प्राथना पत्र से संबंधित मूल अपील  
का विस्तारण हो चुका है मूल  
अपील के अभाव में यह प्राथना पत्र  
चलने काबिल नहीं होने के कारण  
यह प्राथना पत्र खारिज किया जाता  
है प्राथना पत्र फंसल शुभार हो

Sd/-  
SDO Kolar